तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामेश्वरसिंह गहलोत बनाम लो.सू.अ. (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 98 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामेश्वरसिंह गहलोत पता मायली मण्डावता मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.04.2019 में उसके द्वारा (1) जोधपुर नागोर हाईवे रोड 8 मील पर खसरा नम्बर 378 / 5 में संध्या मेडीकल के पास नेमीचंद गहलोत पुत्र मोहनलाल गहलोत के प्लॉट कितने मंजिल की दिवारे रोड़ से हटाकर कितनी पीछे लेने के लिये कितने रूपयेां का भुगतान किया गया, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 699 दिनांक 27.06.2019 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किय कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में रिकॉर्ड भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जोधपुर के द्वारा दिनांक 18.04.19 को भ्रष्टाचार के बारे में कार्यवाही होने पर उनके द्वारा नागोर जोधपुर रोड़ पर अवाप्त भूमि एवं निर्माण / संरचनाओं का मुआवजा आदि अंकन है, जांच हेतु ले गये है अतः संबंधित विभाग से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर ही सूचना दी जा सकती है। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि इस बाबत् लोक सूचना अधिकारी अपर कलक्टर जोधपुर को रिपोर्ट भेजते हुए सूचनार्थ पत्रांक 610 दिनांक 03.06.19 प्रार्थी को भी प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि सूचना से संबंधित मूल अभिलेख भ्रष्टाचार विभाग जोधपुर द्वारा अपनी कस्टडी में ले रखा है अतः ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना संभव नहीं है अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	